RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

# बिहार में महिलाओं की बढ़ती सार्वजनिक भागीदारी

रिन्कु कुमारी

पीएचडी–राजनीति विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय,पटना

**Abstract:**
*राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर सहमति की मोहर लगना एक उल्लेखनीय राजनीतिक घटना है, लेकिन जब तक यह विधेयक कानून का रूप नहीं ले लेता तब तक इसे ऐतिहासिक कहना सही नहीं होगा। इसी तरह इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि आखिरकार यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया, क्योंकि भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलने वाले इस विधेयक को जिस गरिमा के साथ पारित होना चाहिए था उसका अभाव नजर आया। यह सामान्य बात नहीं कि विधेयक पारित कराने के लिए सदन में मार्शल बुलाने पड़े। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए ताकत का सहारा लेने की विवशता से यथासंभव बचाया जाना चाहिए था। आखिर डेढ़ दशक से लंबित इस विधेयक पर आम सहमति कायम करने की एक और कोशिश क्यों नहीं की गई? खैर संसदीय गलियारे में महिला आरक्षण विधेयक भले ही मृग–मरीचिका प्रतीत हो रही हो, पर इसे धता बताते हुए महिलाओं ने समय की गति को पहचान लिया है और सार्वजनिक जीवन में बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रही हैं।खुशकिस्मती से बिहार की कामयाबी खास कर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। प्रस्तुत आलेख में इसी की विवेचना की गई है।*

**Key Words:** *महिला आरक्षण विधेयक, सार्वजनिक जीवन, मृग–मरीचिका, भागीदारी, बिहार*

## प्रस्तावना

ध्यान रहे कि अभी तक यह विधेयक पारित न हो पाने के पीछे मूल कारण आम सहमति का अभाव ही बताया जाता था आखिर अचानक इतनी जल्दी क्यो पड़ गई की सर्वदलीय बठै क, बुलाने की मांग भी ठुकरा दी गई? क्या यह विचित्र नहीं कि जिस कार्य को महिला सशक्तीकरण की दिशा मे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है उस पर प्रधानमंत्री को यह सफाई देनी पड़ रही है कि वह अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति एवं नजाति विरोधी नहीं हैं? सत्तापक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस इससे उत्साहित हो सकती है कि अंततः उसके नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने में सहायक हुई, लेकिन उसने जिस अभूतपूर्व आपाधापी में यह सफलता हासिल की उससे कुछ समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। कुछ समस्याओं का सामना तो उसे ही करना पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव और मुलायम सिंह संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने पर अडिंग दिख रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला आरक्षण विधेयक के जरिये भारतीय महिलाओं को सीधे एक ऐसे उच्च स्थान पर आसीन होने का अवसर मिलने जा रहा है जहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी मुश्किल है।

विधान मंडलों में 33ः प्रतिशत महिलाओं के पहुँचने से देर–सबेर शासन और समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इससे आम महिलाओं की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सच तो यह है कि यह विधेयक आम भारतीय महिलाओं की समस्याओं का एक हद तक ही समाधान करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी ज्यादातर समस्याएँ पुरुष प्रधान समाज के रवैये के चलते हैं। यह कहना कठिन है कि विधान मंडलों में अधिक संख्या में महिलाओं के पहुँचने से पुरुषों की मानसिकता में कई उल्लेखनीय तब्दीली आएगी। महिला आरक्षण विधेयक जिस माहौल में और जिन आशंकाओं के साथ पारित हुआ उससे आम महिलाओं के प्रति दुराग्रह बढ़ने का भी अंदेशा हैं। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न होने पाए। इसी के साथ उसे इस पर भी विचार करना होगा कि जो महिलाएं अधिकारों से वंचित और उपेक्षित हैं उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह प्राथमिकता के आधार पर हो।

### बिहार विधान सभा में महिलाएँ

| वर्ष | कुल संख्या | मुस्लिम |
|---|---|---|
| 1985 | 15 | 1 |
| 1980 | 13 | 1 |
| 1972 | 13 | 2 |
| 1962 | 25 | 1 |
| 1957 | 34 | 1 |
| 1952 | 13 | 0 |

महिला आरक्षण पर जारी विवाद के बीच यह जानना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में मुस्लिम महिला प्रतिनिधि नहीं हैं। आजादी के बाद बिहार विधानसभा के लिए सिर्फ छः मुस्लिम महिलाएँ चुनी गइ हैं। 1990 से 2005 के बीच एक भी मुस्लिम महिला प्रतिनिधि विधानसभा के लिए नहीं चुनी गई हैं। बिहार में1952 से 2005 तक हुए विधानसभाओं के चुनावों में 205 महिलाएँ चुनी गई हैं। तेरह विधानसभा चुनावों में सिर्फ छह बार मुस्लिम महिलाएँ विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। बिहार विधानसभा के लिए चुनी जानेवाली महिलाओं में पटना पूर्व से जाहेरा अहमद 1957 और 1962 उमद जीतीं।1972 में बारसोई से काँग्रेस की ब्यूला दोजा आरै सवैयदू निशा रामगढ़ से जीती थी। सैयदू निशा के पति भाकपा के विधायक थे। उनकी पटना में हत्या कर दी गई थी और वे जीतीं। ब्यूला दोजा 1977में हार गई। 1980 और 1985 में लगातार ब्यूला दोजा जीतीं। ब्यूला दोजा 1973 केदार पांडेय मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाई गई थीं। बिहार से राज्यसभा में जाने वाली एकमात्र महिला अजीजा इमाम 1976 चुनी गई थीं और अन्य मुस्लिम महिला सईदा नईम बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत हुई थीं। बिहार से लोकसभा के लिए आज तक कोई मुस्लिम महिला प्रतिनिधि नहीं चुनी गइ हैं। मुस्लिम महिलाओं टिकट नहीं मिलता है। और टिकट मिला तो हार गई 2005 विधानसभा के चुनाव में जद यू ने एक महिला प्रत्याशी को टिकट दिया था लोकसभा 2009 के चुनाव में राजद ने शहाबुद्दीन के पत्नी को टिकट दिया था 1937 में पटना सीटी मुहम्मडन अबर्न से अनिस इमाम निर्विरोध चुनी गई थी। 1945 में मुस्लिम लींग की जोहरा अहमद चुनी गई। 12 मई से 15 मई 1952 तक नईमा खातून हैदर तीन दिनों के लिए विधान परिषद की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई थीं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं में और भी अधिक सुधार हुआ। सरकार, गैर–सरकारी संगठनों तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भारतीय महिलाओं की स्थिति मध्यकाल की महिलाओं से कही ऊँची है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश के सर्वांगीण विकास के लिये लोकतन्त्र धर्म निरेपक्षता तथा सामाजिक न्याय मुख्य सिद्धान्त बने 126 जनवरी, 1950 में जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें सामाजिक न्याय को विशेष महत्त्व दिया गया। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 13 में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,19,21,23 एवं 36 के माध्यम से असमानता, भदे भाव, अस्पृश्यता, संपत्ति संबंधी अधिकार बगैर तथा दलितों की धार्मिक निर्योग्यताओं का अन्त किया गया। महिलाओं शुद्र व अछूत व्यक्तियों के लिये शिक्षा का प्रावधान नहीं था जिसे अनुच्छेद 29 (1) के तहत समाप्त करके सबके लिए शिक्षा का मार्ग खोला गया। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत वृद्धि हुई, जिसका विवरण प्रतिशत में निम्न प्रकार

| वर्ष | व्यक्ति | स्त्रियाँ | पुरूष |
|---|---|---|---|
| 1951 | 18.33 | 08.86 | 27.16 |
| 1961 | 28.30 | 15.35 | 40.40 |
| 1971 | 34.45 | 21.97 | 45.96 |
| 1981 | 43.57 | 29.76 | 56.38 |
| 1991 | 52.21 | 39.29 | 64.13 |
| 2001 | 65.38 | 54.16 | 75.85 |

अनुच्छेद–15 द्वारा लैंगिक विभेद को समाप्त कर पुरुषों के समान दर्जा दिया तथा समान कार्य के लिये समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया 29 (घ) अनुच्छेद 15 (1) के द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करके महिलाओं को पुरुषों के समान राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये। स्वतंत्रता के पहले और बाद में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है। कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सभी वर्ग की महिलाओं को राजनैतिक धारा से जोड़ कर उनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि तैयार की, जिसे संविधान द्वारा सुदृढ़ता प्रदान की गयी। महिलाओं को वाटे देने का अधिकर आजादी से पूर्व 1921 में ही प्राप्त हो चुका था आरै जब 1936 में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं ने भी मंत्री, अवर सचिव, प्रानतीय विधायिका और जन सभाओं के उपाध्क्ष के रूप में काम किया।

पहला, सक्रिय राजनेताओं की पत्नी, बहू, बेटी, दूसरा राजघराने, जमींदार परिवार या उच्च आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ी महिलाओं एवं तृतीय, फिल्म जग अथवा ग्लैमर से जड़ी महिलायें। इन वर्गों की महिलाओं के राजनैतिक प्रतिनिधित्व का बहुसंख्यक महिला वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें सामान्य और ग्रामीण स्तर से महिला नेतृत्व उभर कर नहीं आया था लोकतंत्र के निचले स्तर (प्राचीन पंचायत व्यवस्था) पर महिलाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति एवं 1977 में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन किया गया था। जिसके अन्तर्गत पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था में दो महिलाओं के सहवारण को आश्यक माना गया। किन्तु इस स्तर पर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पंचायत के सदस्य के रूप में उनके नामों का इस्तेमाल मात्र संख्या पूरी करने के

लिये ही की गई। उनके पास पंचायत में न तो किसी प्रकार की शक्ति थी और न ही स्वयं में अपने सामाजिक–राजनैतिक अधिकारो के प्रति जागरूकता उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1947 में तो महिलाओं के लिए सहवारण का प्रावधान भी नहीं था। इसे 1978 में अधिनियम 37 के द्वारा संशोधन करके जोड़ा गया। महिलाओं को लोकतन्त्र में स्थान देने के लिये 1991–92 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत का आरक्षण देकर चुनाव कराया गया। इस चुनाव में आरक्षण के बाद भी प्रत्यक्ष चुनाव में बहुत कम महिलायें चुन कर आयीं जिनमें अधिकांश को सहयोजित किया गया। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से 1991 तक महिलाओं को राजनीति में सवैधानिक संरक्षण देने के पश्चात् भी बहुसंख्यक वर्ग की महिलाओं की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आय। इसका कारण शायद उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है।

**लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व साल–दर–साल**

| वर्ष | चुनाव लड़ी | विजयी | सफलता की दर (96) |
|---|---|---|---|
| 1957 | 45 | 22 | 48.9 |
| 1962 | 66 | 31 | 47.0 |
| 1967 | 67 | 29 | 43.3 |
| 1971 | 86 | 21 | 24.4 |
| 1977 | 70 | 19 | 27.1 |
| 1980 | 143 | 28 | 19.6 |
| 1984 | 162 | 42 | 25.9 |
| 1989 | 198 | 29 | 14.7 |
| 1991 | 326 | 37 | 11.4 |
| 1996 | 599 | 40 | 06.7 |
| 1998 | 274 | 43 | 15.7 |
| 1999 | 284 | 49 | 17.3 |
| 2004 | 355 | 45 | 12.7 |
| 2009 | 556 | 59 | 10.6 |

वे दिन लद गए जब महिला जनप्रतिनिधियों के नाम से उनके पति और रिश्तेदार ही पंचायतों का संचालन करते थे। महिला जनप्रतिनिधियों ने अब 'रबर स्टापं ' छवि से बाहर निकलने की ठान ली है। चुनाव के दौरान इन्हें अपनी पुरानी छवि को लेकर महिला को ताने सुनने पड़े थे। तब उन्होंने वोटरों से वादा किया कि इस बार जीती तो पंचायत के कामकाज में अपने पति और रिशतेदारों की दखल बंद कर देगी। दोबारा जीती महिलाओं ने वादा निभाना शुरू कर दिया है। जैतपुर पंचायत की फिर से मुख्यिा बनी राधिका देवी कहती है, 'चुनाव के दौरान जब ताने सुनना मेरे लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। 'राधिका अब पति की छाया मात्र बनकर नहीं रहना चाहती। खुद फैसले लेकर महिलाओं के विकास के लिए ठोस काम करना चाहती है। महादलित समुदाय से आने वाली बीडीसी सदस्य सावित्री हों या पिछड़े समाज की सरपंच फलू वंती, इन महिला जनप्रतिनिधियों ने कठपुतली का चोगा उतार फेंका है।

बिहार की 8,463 पंचायतें और इतनी ही ग्राम कचहरियों के अलावा 531 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदों में महिलाओं के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित है। कुल पद 2,60,664 है। इनमें से 1,30,000 हजार पद महिलाओं के लिए आरक्षित है लेकिन महिलाओं ने उन सीटों पर भी जीत हासिल की है जो उनके लिए आरक्षित नहीं थी। महिलाओं ने 60 फीसदी पदों पर कब्जा जमाते हुए अपने कोटे के अलावा पुरुषों के हिस्से की सीटें भी हथिया ली हैं। पटना सहित 26 जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी महिलाएँ चुनाव जीतकर आई है। पटना जिला परिषद में नूतन पासवान ने अध्यक्ष पद पर आरै मीना देवी ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। मुजफ्फरपरु में चन्दा देवी और प्रमिला देवी क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनी हैं।

पिछले पाँच साल में महिला प्रतिनिधियों ने साबित किया कि वे पंचायतों का संचालन पुरुषों से बेहतर कर सकती है। दरअसल, पति के साथ ही सही पर जब महिलाओं ने पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालयों तक का मुँह देखा और वहां आने–जाने लगीं तो उन्हें अपने पद की गरिमा का अहसास हुआ। द हंगर प्रोजेक्ट के जरिए महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने के अभियान में जुटी शाहिना परवीन कहती है, 'कुछ महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने पुरुष अभिभावकों से मतभिन्नता होने पर जब स्वयं कुछ करने की ठानी तो उन्हें समाज से तमाम ताने सुनने पड़े और पारिवारिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

नेतृत्व का सफर इनके लिए फूलों की सेज कदापि नहीं रही। इन्हें पंचायत सचिव तो प्रखंड में बीडीओ के समक्ष भी अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। फिर भी कई महिला जनप्रतिनिधियों ने बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह किया।' यही वजह है कि बेहतर कामकाज के बूते मुजफ्फरपरु, मधुबनी, जहानाबाद और रोहतास में लगभग 55 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि दोबारा चुनाव जीतकर वापस आई। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट ने चुनाव जीतने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को पटना में सम्मानित किया।

महिला जनप्रतिनिधि अब संगठित भी हो रही है। पिछले कार्यकाल के दौरान इन्होंने चुनौतियों से निपटने के लिए 'अपराजिता महिला जनप्रतिनिधि संगठन' बनाकर एकजुटता दिखाई। चार जिलों के एक हजार ग्राम पंचायत स्तरीय महिला प्रतिनिधियों ने कंई मुद्दों पर साझा काम किया। मुजफ्फरपुर के सेरूकांहीं पंचायत की उपमुख्यिा पार्वती देवी कहती हैं, 'कांटी प्रखंड कार्यालय में महिला जनप्रतिनिधि के बदले उनके पुरुष रिश्तेदार को बैठकों में जगह दी जाती थी। संगठन की महिलाओं ने बीडीओ से मिलकर इसका विरोध किया। तब जाकर न सिर्फ महिला मुखिया बल्कि महिला पंचायत सदस्यों को भी सम्मान के साथ बैठकों में बुलाया जाने लगा। मुजफ्फरपुर की ही रामनाथ धमौली पश्चिमी पंचायत की उपमुखिया लक्ष्मी देवी कहती हैं, चुनाव जीतना ही काफी नहीं हैं। हमें अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने के लिए पति, परिवार व समाज से लेकर अधिकारियों तक से जूझना पड़ा जहानाबाद के काको प्रखंड की सुलेमानपुर पंचायत की उपमुख्यिा मैनामंती देवी कहती हैं, 'पिछले कार्यकाल में कई ऐसे क्षण आए जब लगा कि यह राजनीतिक भूमिका निभाना हमारे बस की बात नहीं लेकिन जब एकतरफ महिलाओं, बच्चों और गरीबों की हालत देखी और दूसरी तरफ मुखिया की मनमानी तो मन आक्रोश से भर गया। उस वक्त राजनीतिक भूमिका का निर्वाह और अधिक मजबूती से करने का हौसला मिला।' जहानाबाद की ही सविता देवी का कहना है, 'महिला जनप्रतिनिधियों पर परिवार के दबाव के साथ–साथ समाज द्वारा भी अंगुलियां उठाई गई लेकिन हम भ्रष्टाचार से लेकर बाल–विवाह के विरोध में पिछले पांच साल लगातार आवाज उठाते रहे और इस कार्यकाल में भी उठाते रहेंगे। जहानाबाद की ही काको की मुखिया रेणु देवी स्वीकार करती है कि पति का दबाव तो होता है लेकिन उसे सहयोग में बदलना और खुद फैसला लेने की लड़ाई जारी है। रोहतास के सासाराम प्रखंड की धवडांड़ पंचायत की पंचायत सदस्य रमामुनी का मानना है कि जब तक महिलाएँ परिवार के दबाव से मुक्त होकर स्वयं निर्णय नहीं लेंगी,तब तक महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। रोहतास के तिलोथू प्रखंड की पौठरिया देवी का मानना है कि नाली, गली और इंदिरा आवास जितना जरूरी है। उतना ही जरूरी लड़कियों की पढ़ाई है। मधुबनी की शीला देवी कहती हैं, गाँव वालों को पंचायत में भी पंचायत में पूरी भागीदारी करनी चाहिए। उन्हें अपना काम साधने के लिए घूस नहीं देनी चाहिए। जमुई जिले के गिद्धौर की सरपंच आनंदिता शर्मा ने सरकार से जल्द ही ग्राम कचहरी की नियमावली बनाने एवं ग्राम कचहरी को प्रभावी बनाने के लिए पंचायतों में ग्राम कचहरी भवन उपलब्ध कराने की मांग की है।

महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि स्वनिणर्य में ही स्वशासन के बीज छिपे हैं। अपराजिता महिला जनप्रतिनिधि संगठन वर्ष 2007 से ही हर पंचायत के लिए पूर्णकालिक पंचायत सचिव की मांग कर रही हैं। पंचायतों के अधिकारपरक बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, कर लगाने का अधिकार, वार्ड सभा को संवैधानिक दर्जा देने की भी मांग तो है ही। बहरहाल, चुनौतियों के बावजूद महिला जनप्रतिनिधियों के संकल्प गंभीर है और हौसले बुलंद। ये समितियां ग्रामीण स्तर पर आवश्यकता–आधारित मांग के अनुसार सामाजिक जनांकिकीय योजनाएँ तैयार कर सकती है जो जन्म, मृत्यु, विवाहों और गभार्वस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण में छोटे परिवार के मापदंड को व्यापक बनाने, सुरक्षित प्रसव में वृद्धि कराने का कार्य कऱेंगी। जनसंख्या नीति का प्रारूप उपयुक्त क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान करता है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार करने सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण एक आवश्यक शर्त है, जिसका अर्थ है एक न्यायपूर्ण तथा सम–समाज की स्थापना। इसलिए लिंगगत समानता को सुशासन की कुंजी कहा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज का खास महत्व हैं, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं सांस्थानिक स्तर पर बदलाव आया है। राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ठीक, उसी तरह से है जिस तरह भारतीय लोकतंत्र के अन्तर्गत राजनीतिक समानता के सिद्धान्त ने सामाजिक असामनता के दीवारों को कमजोर किया है।

73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को न सिर्फ संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई बल्कि उसे विशेष अधिकारों से सम्पन्न भी किया गया। अर्थात् ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से साकार करने का कार्य शुरू हुआ। इस परिस्थिति में आधी आबादी अर्थात् महिलाओं के योगदान के बिना यह कार्य

*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*

*ISSN:* 2349-7637 (Online)

संभव नहीं हो सकता, इसलिए इस संवैधानिक संशाधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन, इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण और शैक्षणिक तथा राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता हैं।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तर्ज पर की गई हैं। हालाँकि यह भी महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में भी ऐसे ही प्रत्यक्ष लाके तंत्र था और पंचायती राज के सिद्धान्त के लिए पंच परमेश्वर की प्राचीन परम्परा से ग्रहण की गयी है। इसके पीछे स्थानीय स्वशासन का यह उसूल काम कर रहा है कि सरकार की निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तान्तरण और लोकप्रिय निर्वाचन से गठित स्थानीय संस्थाओं के जरिए स्वशासन। यह उसूल चार मान्य बुनियादि धारणाओं पर आधारित है। राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए संसाधन को जुटाना, लोकतन्त्र में बुनियादि संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी। इन सभी पहलुओं में महिलाओं का एक खास महत्व है। क्योंकि , जहाँ एक तरफ उनमें प्रतिनिधित्व के अभाव में संपूर्ण लाके तांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरफ उनके सशक्तिकरण के अभाव में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिए महिलाओं को पंचायत के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा हैं। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है जो इस प्रकार हैं।पंचायती द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीति सशक्तिकरण की ही देन हैं कि पिछले बाहर वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।कई राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति 33 प्रतिशत से अधिक है जैसे–कनार्ट क में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत हैं।

**संदर्भ स्रोतः**

1. महिपाल, (जनवरी–2002), ''ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों की भूमिका,'' योजना, वर्ष–45, अंक–10, योजना'भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, पृष्ठ–72.
2. मिश्र, एस, के. एवं पुरी, वी. के. (2008) ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली.
3. पपनै, डॉ. कैलाश चन्द्र (मार्च–2000), ''जवाहर ग्राम समृद्धि योजनाः एक समीक्षा'', कुरूक्षेत्र, वर्ष–45, अंक–5, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
4. वार्षिक रिपोर्ट (2007–08), अध्याय–28, ''ग्रामीण विकास से भारत निर्माण'', ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. कुरूक्षेत्र, (अक्तूबर–2006), भारत निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
6. मजुमदार, अम्लनज्योति, (अक्टूबर–2006), ''सुनिश्चित रोजगार गारंटी'', कुरूक्षेत्र, वर्ष–52, अंक–12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली